म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/287 भोपाल दिनॉक 17/04/2020

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
   म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   ऑचलिक कायालय..... (समस्त)
2. भारसाधक/सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति ..... (समस्त)
   जिला–.....(म0प्र0)

विषयः– Covid 19 संक्रमण की अवधि में प्रदेश की मण्डी समितियो मे कृषि उपज के क्रय–विक्रय प्रारम्भ किये जाने के संबंध मे दिशा–निर्देश।

संदर्भः– म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1317 दिनांक 13.04.2020।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा Covid–19 संक्रमण की अवधि में मण्डी समितियो मे किसानो की कृषि उपज के क्रय–विक्रय निम्नकित स्थानो पर किये जाने के निर्देश है। जिनकी प्रतियां आप सभी को भेजी गयी है । सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

(1) शासन द्वारा किसानों की कृषि उपज विक्रय के निम्न प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये है

1.1 मंडी समितियों में विक्रय

1.2 प्राइवेट खरीदी केन्द्रों पर विक्रय

1.3 सौदा पत्रक–सौदा पत्रक निम्नस्थितियो मे कृषि उपज के विक्रय संव्यवहारो के लिए जारी होगे :–

(अ) नमूने के आधार पर मण्डी समितियो मे कृषि उपज का विक्रय।
(ब) प्रायेवट खरीदी केन्द्र पर विक्रय की गई कृषि उपज।
(स) मण्डी परिसरो के बाहर आपसी सहमति से विक्रय की गई उपज। इसकी अनुमति केवल 15.10.2020 तक के लिए है।

1.4 म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के एग्री व्यापार पोर्टल के माध्यम से।

(2) ऐसे जिला जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीज पाये गये है उन जिलो के संबंध मे जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार पूर्ण सकंमण के बचाव के उपायो को अपनाते हुए मंडी चालु करने का निर्णय लेंगे। ऐसे जिले एवं मण्डी क्षेत्रो मे मण्डी परिसर के बाहर प्रायवेट खरीदी केन्द्र एवं सौदा पत्रक के माध्यम से कृषि उपज के विक्रय की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा क्रय केन्द्रो तथा आपसी सहमति से सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज के स्टॉक के प्रतिदिन मण्डी समिति द्वारा सत्यापन कराया जायेगा।

(4) क्रय केन्द्रों पर खरीदी गयी कृषि उपज में सौदा पत्रक उपविधि प्रारूप - 2 (अ) में जारी होंगे तथा आपसी सहमति से खरीदी गयी कृषि उपज में सौदा पत्रक उपविधि प्रारूप - 2 में जारी होंगे।

(5) सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की जाने वाली कृषि उपज की तुलाई होने के बाद किसान का भुगतान, मण्डी शुल्क, एवं निराश्रित शुल्क भुगतान के पश्चात कृषि उपज का परिवहन ई–अनुज्ञा के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी स्थिति मे मैनुअल अनुज्ञा जारी नही होगी।

(6) मण्डी/उप मण्डी प्रांगण तथा सौदा पत्रक के आधार पर विक्रय होने वाली प्रतिदिन की कृषि उपज के भुगतान पत्रक की प्रविष्टियां प्रतिदिन ई–अनुज्ञा पार्टल पर करना अनिवार्य होगा।

(7) मण्डी/उप मण्डी प्रांगण, प्रायवेट खरीदी केन्द्रो तथा आपसी सहमति से विक्रय की गई कृषि उपज के दैनिक भाव (न्यूनतम–अधिकतम–मॉडल) की जानकारी एगमार्कनेट पोर्टल एवं मण्डी बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज की जायेगी।

(8) औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) की कृषि उपज के लिए घोषित समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारम्भ नही होगी। {उपविधि की कंडिका,16(1)(छ)}

(9) मण्डी/उप मण्डी प्रांगण तथा सौदा पत्रक के आधार पर विक्रय होने वाली कृषि उपज के संबंध मे किसानो को भुगतान, तौल आदि संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मण्डी बोर्ड स्थित कॉल सेंटर दूरभाष नम्बर–0755–2550495 पर की जा सकेगी।

(10) प्रायवेट क्रय केन्द्रो पर कोरोना वायरस Covid-19 संक्रमण के बचाव के लिए जारी दिशा–निर्देश परिशिष्ट–एक के अनुसार पालन किया जायेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

17.4.20

(संदीप यादव)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / 288 भोपाल दिनॉक 17 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोड, भोपाल।
2. अपर संचालक(समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. चीफ प्रोग्रमर, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर भेजकर लेख है समस्त को मेल से भेजने की कार्यवाही करे।

17.4.20

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनाँक 13/04/2020

क्रमांक/ F-16-03-2020/ 14-2/ 1317
प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
जिला .....(म0प्र0)

विषयः- कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण अवधि में प्रदेश की मण्डी समितियो में कृषि उपज के क्रय-विक्रय प्रारंभ किये जाने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID -19) के संक्रमण से निर्मित परिस्थिति के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी जिलों में लाॅकडाउन किया गया है। COVID -19 से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2020 से मंडी समितियो में किसानों की कृषि उपज का विक्रय प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया है।

मंडी समितियों में किसानों की उपस्थिति को व्यवस्थित करने एवं कृषि उपज का क्रय-विक्रय सुगम बनाने के लिये, मंडी समितियों तथा अन्य अधिकृत क्रय स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु परिशिष्ट-1 अनुसार व्यवस्था की जाना है।
मंडी प्रांगण में खरीदी के अतिरिक्त निम्नानुसार माध्यमो से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी की जायेगी -

(1) प्रायवेट खरीदी केन्द्रो (विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारक द्वारा) पर खरीदी- मण्डी समिति क्षेत्र मे मण्डी प्रांगण के बाहर किसी भी व्यक्ति, फर्म/संस्था तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई को कृषि उपज क्रय करने हेतु संबंधित मण्डी समिति द्वारा छः माह के लिए अनंतिम अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए आवेदन शुल्क रूपये 500/- प्रति क्रय केन्द्र होगा। एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में क्रय केन्द्र खोलने हेतु मंडी बोर्ड स्तर से विशेष अनुज्ञप्ति (एकल लायसेंस) जारी की जावेगी।

1.1 आवेदक खरीदी केन्द्र प्रांरभ करने के पूर्व उसकी एक दिन की घोषित क्रय क्षमता के बराबर प्रतिभूति राशि आॅनलाईन ट्रांसफर, नगद, चैक, एफ.डी.आर., डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से मण्डी समिति में जमा करेगा। आवेदक द्वारा व्यापारी लाइसेंस के साथ यदि प्रतिभूति जमा की गई है तो उसके अतिरिक्त ऐसी प्रतिभूति नहीं ली जावेगी।

1.2 खरीदी केन्द्र हेतु पर्याप्त खुला स्थान होना आवश्यक होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिग के मापदण्डो का पालन हो सके। ऐसे प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निकटतम मण्डी की प्रतिदिन की माॅडल दरें प्रदर्शित की जावेगी।

1.3 खरीदी केन्द्रों पर विक्रय संव्यवहार के लिए सौदा-पत्रक जारी किया जाएगा तथा कृषि उपज की तुलाई मण्डी के लायसेंसी तुलैया द्वारा की जायेगी।

1.4 विक्रेता कृषक को उसके द्वारा बेची गई कृषि उपज का भुगतान क्रेता द्वारा उसी दिन किया जाएगा। यदि क्रेता द्वारा उसी दिन भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह कुल कीमत का 1% प्रतिदिन की दर से 5 दिवस तक अतिरिक्त भुगतान विक्रेता को करेगा। यदि क्रेता पांच दिवस में भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे स्वीकृत की गई अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी और उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को राजसात करके विक्रेता किसान को भुगतान किया जाएगा।

1.5 खरीदी केन्द्र पर क्रय की गयी कृषि उपज का विक्रय मूल्य का विक्रेता को पूर्ण भुगतान, देय मंडी शुल्क तथा निराश्रित शुल्क के भुगतान होने के बाद ई-अनुज्ञा के माध्यम से क्रय कृषि उपज की निकासी की जाएगी।

1.6 मण्डी समिति खरीदी केन्द्र का समुचित पर्यवेक्षण करेगी।

1.7 खरीदी केन्द्र पर अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किसानो की अधिक संख्या को नियंत्रित रखा जायेगा ताकि संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं शासन द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार व्यवस्थाऐ हो सके। किसी भी अव्यवस्था के लिए अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।

(2) **सौदा-पत्रक के माध्यम से**:- मण्डी उपविधि, 2000 की कण्डिका 16(4) मे सौदा पत्रक द्वारा कृषि उपज के विक्रय का प्रावधान संशोधित किया गया है जिसके अनुसार "परन्तु मंडी क्षेत्र का विक्रेता यदि अपनी अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश मंडी प्रांगण में नही ला पाता है और नमूने के आधार पर कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है तब नमूने के आधार पर उसका घोष विक्रय कराया जायेगा अथवा मंडी प्रांगण के बाहर यदि क्रेता एवं विक्रेता की पूर्व सहमति हो चुकी है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में सचिव, मंडी समिति द्वारा प्रारूप-दो में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा।
मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजो का क्रय-विक्रय उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केन्द्रों पर भी प्रारूप दो(अ) में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा।"

उपरोक्त बिंदु के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

2.1 सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक मे उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जायेगी। बीओटी तौल कांटे से जारी इलेक्ट्रानिक पर्ची भी मान्य होगी।

2.2 तौल पर्ची मे वास्तविक वजन, क्रेता व्यापारी का नाम तथा कृषि उपज की विक्रय की दर अंकित की जायेगी। सौदा पत्रक मण्डी कर्मचारी के द्वारा जारी किया जायेगा।

2.3 क्रय केन्द्रों पर तौल पुस्तिका क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी एवं अन्य समस्त विक्रय संव्यवहारों में तौल पुस्तिका मंडी समिति द्वारा तुलैया को उपलब्ध कराई जायेगी जिसका अभिलेख मण्डी समिति संधारित करेगी।

2.4 सौदा पत्रक निष्पादित हो जाने के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा और न ही सौदा पत्रक मे अंकित उपज की तौल कराने के लिए क्रेता/विक्रेता इंकार नही कर सकेगा यदि कोई आपत्ति है तो वह लिखित आवेदन मण्डी सचिव को प्रस्तुत किया जायेगा। मण्डी सचिव परीक्षण पश्चात् उसी दिन विनिश्चिय करेगा।

2.5 सौदा पत्रक मे उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नही करेगा।

2.6 तौल पर्ची के आधार पर क्रेता व्यापारी द्वारा भुगतान पत्रक जारी किया जायेगा। विक्रेता किसान को उसी दिन पूर्ण भुगतान किया जायेगा। विक्रेता के भुगतान की पुष्टि हो जाने एवं मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क भुगतान के बाद क्रेता को क्रय की गई कृषि उपज की निकासी के लिए ई-अनुज्ञा जारी की जायेगी।

(3) **ई-नाम -** ऑनलाइन विक्रय की व्यवस्था हमारी 58 मंडियों मे चल रही है। 25 और नई मंडियो मे ई-नाम व्यवस्था शीघ्र चालु कर रहे है। ई-नाम पोर्टल पर किसान कृषि उपज मंडी मे आये बगैर भी दो तरह से अपनी फसल बेच सकता है।

3.1- **एफ.पी.ओ. मॉड्युल**- ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किसान उत्पाद संगठन (FPO) द्वारा कृषि उपज को एफपीओ सेंटर से मंडी समिति के लायसेंसी एफपीओ अथवा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ई-ट्रेडिंग के द्वारा विक्रय किया जा सकता है। इस प्रक्रिया मे कृषि उपज की तुलाई के पश्चात् ई-पे के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा एवं भुगतान सुनिश्चित होने के उपरांत क्रय की गई उपज का परिवहन किया जायेगा।

3.2 ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किसान अपने मोबाइल एप के माध्यम से अपने घर/फार्म से ऑनलाईन गेट एन्ट्री की जायेगी और उसके उपरांत संबंधित मण्डी समिति द्वारा ऑनलाईन टेडिग की आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। इसमे किसान को भुगतान के पश्चात उपज की डिलीवरी की कार्यवाही की जायेगी।

(4) मध्य प्रदेश में म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के द्वारा भी किसानों की कृषि उपज विक्रय के लिए "मार्कफेड एग्री व्यापार" के मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। जिले की आवश्यकता अनुसार इस मॉडल पर भी कृषि उपज का क्रय-विक्रय करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

कृपया आपके जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति अनुसार किसानों की कृषि उपज का विक्रय के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

(अजीत केसरी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
किसान कल्याण एव कृषि विकास विभाग

क्रमांक/ F-16-03-2020/ 14-2/ 1318 भोपाल दिनांक 13/04/2020

प्रतिलिपि

1. मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव सह-कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. आयुक्त सह-प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आयुक्त, सहकारिता सह पंजीयक सहाकरी संस्थाएं, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म प्र राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
किसान कल्याण एव कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट-एक

मंडी समितियो के संचालन मे कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव संबंधी निर्देश

प्रदेश की सभी मंडी समितियो मे कृषि उपज का क्रय-विक्रय दिनाॅक 15.04.2020 से चालू किया जाना है। मडी समितियो मे कार्यरत् कर्मचारियो, व्यापारी, हम्माल एवं तुलावटी की संख्या लगभग 500 से 1000 तक होती है तथा प्रतिदिन मंडी सीजन मे किसान भी बडी संख्या मे पहुचते है। कृत्यकारी एवं किसानो की उपस्थिति को देखते हुये मंडी प्रागंण मे मंडी संचालन अवधि मे इनको कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिये उपाय करना आवश्यक है।

मंडी/उपमंडी परिसरो स्वीकृत खरीदी केन्द्रो मे कार्यरत कर्मचारियो, व्यापारियो, हम्माल तुलवाटियो एवं किसानो को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायो की जानकारी दी जायेगी। इसके लिये व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण दिया जाये। प्रत्येक खरीदी स्थल पर सभी के लिये मास्क, सेनेटाईजर उपलब्ध कराये जाये एवं सोशल डिस्टेंस के महत्व को बताते हुये मंडी संचालन किया जावे। मंडी मे कर्मचारियो, हम्माल तुलावटियो एवं व्यापारियो की समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण करा लिये जाये।

मंडी/उपमंडी प्रागंण एवं खरीदी केन्द्रो पर मंडी कृत्याकारी एवं किसानो के लिये प्रतिदिन निम्नानुसार प्रोटोकाल का पालन किया जाये:-

(1). मंडी परिसर/खरीदी केन्द्रो मे कार्यरत कर्मचारियो, व्यापारी, हम्माल तुलवाटी के लिये प्रोटोकाल -

1.1 मंडी मे कार्य प्रारंभ करने केे पहले एंव नियमित अंतराल मे (न्यूनतम 02 घंटे मे) साबुन एवं हेण्ड वाॅस से अच्छे से हाथ धोये जाये।

1.2 आॅखो को छोड़कर संपूर्ण चेहरे को मास्क/गमछे से ढका जाये।

1.3 मंडी मे कार्य मे संलग्न प्रत्येक व्यक्ति का कानटेक्टलेस थर्मामीटर से तापमान चेक किया जाये। यदि उसे बुखार पाया जाता है तो कार्य करने की अनुमति ना दी जाये।

1.4 ऐसे समस्त व्यक्तियो जिनको बुखार अथवा खाॅसी-जुखाम के लक्षण हो उन्हे कार्य पर नहीं लिया जाये और उन्हे निकतम स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श हेतु सलाह दी जाये।

1.5 निवास स्थान से मंडी आने के लिये एक वाहन मे एक से अधिक कर्मचारी न आये।

1.6 मंडी/उपमंडी प्रागंण एवं खरीदी केन्द्रो मे आने वाले सभी व्यक्तियो की जागरूकता के लिये कोविड-19 से सुरक्षा के लिये नियमित उद्घोषण कराई, जाये तथा पोस्टर/बैनर लगाये जाये तथा यह भी समझाईश दी जाये कि खाॅसते एवं छीकते समय मुॅह ढका रहे।

1.7 मंडी/उपमंडी प्रागंण एवं खरीदी केन्द्रो मे कर्मचारियो एवं अन्य व्यक्तियो की उपस्थिति बायोमेट्रिक न कराई जाये।

1.8 कार्य समाप्ति के पश्चात् एवं उनके निवास मे प्रवेश से पहले/घर मे प्रवेश करते ही प्रत्यके व्यक्ति एवं कर्मचारी द्वारा कार्य दिवस मे उपयोग होने वाले कपडे बदलने एवं स्नान करने का परामर्श दिया जाये।

(2). मंडी परिसर/खरीदी केन्द्रो मे आने वाले किसानो के लिये निम्नानुसार प्रोटोकाल -

2.1 मंडी प्रागंण मे किसानो के प्रवेश के करने केे पहले एंव नियमित अंतराल मे (न्यूनतम 02 घंटे मे) साबुन एवं हेण्ड वाॅस से अच्छे से हाथ धोये जाये।

2.2 किसानो को आॅखो को छोड़कर संपूर्ण चेहरे को मास्क/गमछे से ढकने को कहा जाये, ऐसा नही करने पर मंडी मे प्रवेश से रोका जाये।

2.3 किसानो का क़ानटेक्टलेस थर्मामीटर से तापमान चेक किया जाये। यदि उसे बुखार पाया जाता है तो प्रवेश की अनुमति ना दी जाये।

2.4 किसी भी किसान एवं साथ आने वाले व्यक्ति जिनको बुखार अथवा खाॅसी-जुखाम के लक्षण हो उन्हे मंडी मे प्रवेश नही दिया जाये और उन्हे निकतम स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श हेतु सलाह दी जाये।

2.5 एक ट्रेक्टर/मालवाहक वाहन मे दो से अधिक किसान/व्यक्ति को आने की अनुमति न दी जाये।

2.6 मंडी मे आने वाले किसानो को समाझाईश दी जाये कि वे कार्य समाप्ति के पश्चात् एवं उनके निवास पहुचने पर कपडे बदले एवं स्नान करे।

(3) संस्थागत प्रोटोकाल -

3.1 मंडी/उपमंडी/खरीद केन्द्रेा मे किसान सम्मेलन एवं अन्य कोई कोई ऐसे कार्यक्रम न किये जाये जिसमे बडी संख्या मे लोग उपस्थिति होगें।

3.2 मंडी/उपमंडी/खरीद केन्द्रेा मे स्थित शौचालायो, कार्यलयो, केंटीन, विश्राम कक्ष मे नियमित साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था रखी जाये।

3.3 उक्त परिसरो मे पर्याप्त मात्रा मे साबुन-हेण्डवाश, सेनेटाईजर, मास्क की व्यवस्था की जाये।

3.4 मंडी परिसर मे नियमित कवर्ड शेड, ओपन प्लेटफार्म तथा मंडी खुले परिसर कार्यलय भवन, प्रवेश द्वार इत्यादि की साफ-सफाई एवं दिन मे कम से कम दो बार सेनेटाईज कराने हेत छिड़काव कराये जाये।

3.5 अनाज एवं फल सब्जी मंडिया मे खेरची एव फुटकर व्यापार का संचालन मंडी/उपमंडी परिसर मे ना किया जाये।

3.6 भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी निर्देशो का पालन किया जाये।

उक्त निर्देश फल सब्जी मंडियो के लिये भी प्रभावशील होगे।